AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (d). The Government announced the unification of the exchange rate in the previous Budget. This step has also been termed in popular parlance as convertibility of the Rupee on trade account. After an initial depreciation immediately after the Budget announcement, the exchange rate has held steady through out the year. From this experience of the Rupee, it can be said that the behaviour of the exchange rate depends on many factors, including soundness of macro economic and trade policies and extent of convertibility.

The main feature of full free convertibility is the ability of residents and non-residents to echange domestic currency, without limit, whatever be the purpose of the transactions. A more limited definition is Current Account convertibility which implies absence of exchange controls in conducting trade and invisibles transactions. Capital account convertibility implies absence of restrictions on capital flows into and out of the country.

Various industry organisations and chambers of commerce have expressed their views during the last year on the desirability or otherwise of the rupee being made fully convertible. Full convertibility implies removal of all exchange controls and has at times been suggested by some representatives of trade or industry. International Monetary agencies have not made any suggestion in this regard.

The advantage of conversion to convertibility is that it establishes an environment in which inflows and outflows of foreign exchange are managed through macro-economic policy rather than through administrative controls which have distortionary effects on the real economy. The possible disadvantage is that in the absence of sound macro economic policies, the country can suffer from excessive volatility of exchange rate and instability on the external account due to volatility of flows.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कारपोरेशन से ऋण के लिए अनुरोध किया जाना

*10. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बिजली की कम वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए आनपारा "बी" विद्युत परियोजना से बिजली की आपूर्ति हेतु कोई आकस्मिक योजना तैयार की गई है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पावर फाइनेंस कारपोरेशन से ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1993 में अनुरोध किया था;

(ख) क्या पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने उक्त ऋण उपलब्ध करा दिया है या उसकी स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) यदि पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा यह ऋण दिया जाना सम्भव न हो, तो क्या सरकार इस गम्भीर समस्या के निदान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में वांछित धनराशि देने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे): (क) अनपारा "ख" से विद्युत की अपेक्षित निकासी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सम्बद्ध पारेषण कार्यों और इनको पूरा करने में विलम्ब किए जाने को मद्देनज़र रखते हुए अनपारा "ख" से उत्पादित विद्युत की निकासी के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार की गई थी जोकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में विद्युत की निम्न वोल्टता की समस्या का समाधान करने में भी सहायक होगी। उपरोक्त परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत वित्त निगम से 1993 में 214.13 करोड़ रुपये के ऋण हेतु अनुरोध किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पी० एफ० सी० द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अभी तक ऋण स्वीकृत किए जाने का कारण विद्युत वित्त निगम की प्रचालनात्मक नीति जोकि निम्नवत् है, में निहित मूल पात्रता सम्बन्धी शर्तों का इसके द्वारा अनुपालन न किया जाना है;

(1) सांविधिक निर्धारित न्यूनतम अधिपोष को न प्राप्त कर पाना;

(2) राज्य सरकार द्वारा ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी आर्थिक सहायता की पूर्ण मात्रा मुहैया न कराया जाना; और

(3) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को पहले दिए गए ऋणों से सम्बन्धित मूलधन, ब्याज आदि का पी० एफ० सी० को भुगतान करने में चूक करना।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली क्लाथ मिल्स (डी०सी०एम०) के शेयर

*11. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या वित्त मंत्री 21 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2595 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेसूनेडा और रेंजर्स कामर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने श्रीराम इंडस्ट्रियल इन्टरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर खरीदने के लिए किन-किन स्रोतों का उपयोग किया;

(ख) जम्मू स्थित अन्य कौन-कौन सी कंपनियों ने दिल्ली क्लाथ मिल्स (डी०सी०एम०) और श्रीराम समूह की कंपनियों के शेयर खरीदे हैं;

(ग) उनकी आय के स्रोत क्या हैं;

(घ) क्या मारीशस स्थित कंपनियों ने भी श्रीराम और दिल्ली क्लाथ मिल्स (डी०सी०एम०) समूह की कंपनियों के शेयर खरीदे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (ङ) सरकार, कंपनी के शेयरों की खरीद हेतु आय के स्रोतों से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव नहीं करती है। सरकार में यह प्रथा भी नहीं है कि शेयरों की खरीद के लिए वह निजी कंपनियों से उनके निधियों के स्रोत का प्रमाण मांगे जब तक कि ऐसा प्रथम दृष्टया साक्ष्य न हो कि कानून का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में, चूंकि ऐसा कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद नहीं है और जिस कंपनियों के विषय में सूचना मांगी जा रही है, वे सरकारी कंपनियां नहीं हैं, अतः सरकार इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

आयकर विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

*12. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आय-कर और सीमा शुल्क विभागों में पदोन्नति के नियम क्या हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त विभागों में अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों को उनकी पदोन्नति द्वारा नहीं भरा गया है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उन रिक्त पदों को, जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया है, किसी विशेष अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) आयकर और सीमा शुल्क विभागों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित पदोन्नति नियमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) दिनांक 1.4.1993 से सीधी भर्ती कोटे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने एक विशेष भर्ती अभियान चलाया है और भर्ती के लिए इसकी सूचना कर्मचारी चयन आयोग को दे दी गई है।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पिछली इकट्ठी हुई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया विशेष अभियान के तहत 31.3.1994 तक पूरी होने की सम्भावना है।